



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1655 वर्ष 2026

कृष्ण गोपाल
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : जेपीएन सिंह,
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जेपीएन सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 19.11.1996 को मौसमी संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता की वसूली लगभग 70% और उससे अधिक रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियम, 1974 के अनुसार उन्हें नियमितीकरण/समायोजन के लिए विचार नहीं किया गया है।
- इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या निपटारा तीसरे प्रतिवादी, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, फिरोजाबाद द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
- दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करे। तीसरे प्रतिवादी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विधिवत निर्णय लेना होगा, जिसमें उपयुक्तता, पात्रता और यदि कोई अन्य प्रतिस्पर्धी दावे हों तो उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। यदि तीसरे प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिका पर प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही निर्णय लिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।
8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"